न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 10/2018 (रा.प्रा.पत्र)
पंजीयन दिनांक 07.03.2018
G.C.M.S. NO. :- 2018/00147

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

श्री गोटू पिता रूपा गमेती निवासी भुरक्याकला, तहसील बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भूराजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम, 1970 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा मि. न. 4/70 आवंटन दिनांक 08.01.71

उपस्थितिः–1– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 07.08.2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार, बडीसादडी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम, 1970 के तहत विरूद्ध विपक्षी के पेश कर निवेदन

किया कि मौजा सोमपुर बी की आराजी नम्बर 312 रकबा 0.86 हैक्टेयर भूमि विपक्षी श्री गोटू पिता रूपा गमेती के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि के पुराने आराजी नम्बर 223/2 रकबा 4 बीघा भूमि है जो कि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा जरिये मिसल नम्बर 4/70 से दिनांक 08.01.1971 को आवंटित की जो जरिये नामान्तरण संख्या 67 दिनांक 17.04.1971 से विपक्षी के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज की गई। उक्त गैर खातेदारी हक से आवंटित भूमि पर आवंटन के पश्चात् से अब तक किसी का भी कब्जा नहीं है व न ही मौके पर काश्त हो रही है तथा न ही विपक्षी ने आवंटन नियमों की पालना की। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को किया गया आवंटन निरस्त फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रजिस्टर्ड ए. डी. के माध्यम से विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुआ। अतः विपक्षी के बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से विपक्षी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। संबंधित भू आवंटन पत्रावली तलब करने पर जिला अभिलेखागार से उक्त पत्रावली जाया होने की सूचना प्राप्त हुई। अतः बहस प्रकरण राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि विपक्षी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की है तथा आवंटित भूमि पर कभी भी विपक्षी का कब्जा नहीं रहा एवं मौके पर वर्तमान मे भी उक्त भूमि पर किसी का कब्जा नहीं है तथा न ही काश्त की जा रही है। अतः आवंटन निरस्त फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा विपक्षी को ग्राम सोमपुर बी की बिलानाम आराजी संख्या 223 रकबा 17 बीघा 7 बिस्वा भूमि में से 4 बीघा भूमि का आवंटन गैर खातेदारी हक से किया गया जिसे आराजी नम्बर 223/2 दिया गया जो जरिये नामान्तरण संख्या 67 दिनांक 17.04.1971 से श्री गोटू पिता रूपा गमेती के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज किया जिसके नवीन आराजी संख्या 312 रकबा 0.86 हैक्टेयर बने जो कि मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है। उक्त आराजी नम्बर 312 रकबा 0.86 हैक्टेयर

Web Copy - Not Official

भूमि विपक्षी के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। लेकिन आवंटन के पश्चात् से उक्त भूमि पर विपक्षी का कभी कब्जा एवं काश्त नहीं रहा है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध पटवार हल्का सांगरिया के मौका पर्चा दिनांक 24.01.2018 से होती है।

पटवार हल्का सांगरिया ने अपने मौका पर्चा दिनांक 24.01.2018 में उक्त आवंटित भूमि पर विपक्षी का कब्जा एवं काश्त नहीं होकर मौके पर पड़त होना बताया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि विपक्षी का उसको गैर खातेदारी हक से आवंटित भूमि पर कभी कब्जा एवं काश्त नहीं रहा है तथा वर्तमान में भी उक्त भूमि मौके पर पड़त पडी हुई है। विपक्षी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है। निष्कर्षतः भूमिधारी तहसीलदार, बडीसादडी, द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षी को आराजी नम्बर 223 रकबा 17 बीघा 7 बिस्वा में से 4 बीघा (जिसके नवीन आराजी संख्या 312 रकबा 0.86 हैक्टेयर) का किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(राकेश कुमार)